



**प्रवेश के लिए प्रस्तावित समय-सारणी**  
**PROPOSED SCHEDULE FOR ADMISSION**

सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए समय-सारणी निम्नलिखित होगी :

**The Admission Schedule for the Session 2026-27 will be as under:**

क्र.सं S.N.	विषय- वस्तु CONTENTS	निर्धारित तिथियाँ SCHEDULED DATES
1	प्रवेश के लिए विज्ञापन Advertisement for admission	<b>Third Week of March 2026 (Latest by 19.03.2026 Thursday)</b>
2	बालवाटिका-1 व 3 एवं कक्षा-1 के लिए पंजीकरण –ऑनलाइन माध्यम से Online Registration for Balvatika-1 & 3 and Class-I नोट: बालवाटिका-1 व 3 केवल चयनित विद्यालयों में बालवाटिका-2 के लिए पंजीकरण उन नए केन्द्रीय विद्यालयों में भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा जो दिनांक 01.04.2026 से प्रारम्भ होने हैं तथा जहाँ बालवाटिका स्वीकृत है। Balvatika-1 & 3 in selected KVs only. Registration for Blavatika-2 will also be in online mode where the KV is newly opened w.e.f. 01.04.2026 and Balvatika is approved therein.)	<b>20.03.2026 (Friday) 10:00 AM onwards</b>
3	बालवाटिका-1 व 3 एवं कक्षा-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि Last date of Online Registration for Balvatika-1 & 3 and Class-I (पैरा 2 के अनुसार नोट लागू/Note as per Para-2 applicable)	<b>02.04.2026 (Thursday)</b>
4	(a) Declaration of provisional lists of selected and waitlisted registered candidates सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित अनंतिम सूची का प्रदर्शन (b) Admission of eligible & selected candidates as per the above list in following order: (i) RTE (ii) From Service Priority Category (I and II) only (iii) Shortfall of Reservation Quota after admission in (i) and (ii) above उपरोक्त जारी सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में: i. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित ii. सेवा श्रेणी वरीयता क्रम श्रेणी I एवं II में से चयनित iii. उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट पर प्रवेश	<b>1<sup>st</sup> Provisional List On 08.04.2026 (Wednesday) for Balvatika 1,2 &amp; 3 and 09.04.2026 (Thursday) for class 1</b>
		<b>2<sup>nd</sup> Provisional List on 16.04.2026 (Thursday) (if seats remain vacant)</b>
		<b>3<sup>rd</sup> Provisional List on 21.04.2026 (Tuesday) (if seats remain vacant)</b>
5	शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना (बालवाटिका-1 व 3 एवं कक्षा-1) यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हों तो (Offline) Extended date for the Second Notification for offline registrations for admission to be made under RTE Provisions, SC, ST and OBC (NCL), if sufficient applications were not received in online mode for Balvatika-1 & 3 and Class-I.	<b>Notification on 21.04.2026 (Tuesday) Registration from 22.04.2026 (Wednesday) to 26.04.2026 (Sunday) Display of list and Admissions 27.04.2026 (Monday) to 30.04.2026 (Thursday)</b>
6	बालवाटिका-2, कक्षा-II तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण (in offline mode) (कक्षा-XI को छोड़कर), कक्षा- विशेष में रिक्तियाँ होने की स्थिति में।	<b>02.04.2026 (Thursday) to 08.04.2026 (Wednesday)</b>

	Registration for Balvatika-2 and Class-II onwards (except Class XI) - Subject (in offline mode) to availability of vacancies in a particular class. (बालवाटिका-2 केवल चयनित विद्यालयों में/ Balvatika-2 in selected KV's only)	
7	बालवाटिका-2, कक्षा-II तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना Declaration of list of Balvatika-2 and Class-II onwards.	13.04.2026 (Monday)
8	बालवाटिका-2, कक्षा-II तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश। Admission for Balvatika-2 and Class-II onwards.	15.04.2026(Wednesday) to 20.04.2026 (Monday)
9	कक्षा-XI को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि। Last date of admission for all classes except class XI	30.06.2026 (Tuesday)
10	30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर, निर्धारित सीमा अर्थात् 40 तक, स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में, उपायुक्त के विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि Last date of admission for all classes, if seats remain vacant, after 30 <sup>th</sup> June, with special power of Deputy Commissioner to allow admissions up to the prescribed strength i.e. 40 as per priorities in admissions	31.07.2026 (Friday)
11	के. वि. के छात्र/ छात्रा : कक्षा-XI में प्रवेश के लिए पंजीकरण <b>For KV students:</b> Registration for admission in class XI	Within 10 days after the declaration of class X First Board Result
12	के. वि. के छात्र/ छात्रा: कक्षा XI की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश <b>KV students:</b> Display of admission list & admissions for Class-XI.	Within 20 days after declaration of class X First Board Result
13	गैर के. वि. के छात्र/छात्रा: कक्षा-XI में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश( रिक्तियाँ होने की स्थिति में) <b>Non-KV students:</b> Registration, display of admission list & admissions in class XI (Subject to availability of vacancies)	After the admissions of KV students in class XI
14	कक्षा-XI के प्रवेश की अंतिम तिथि। Last date of admission for class - XI	30 days from the date of declaration of class-X Results by CBSE

**Note: -**

- समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश- योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणी-वार सूची, प्रतीक्षा-सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ विद्यालय की वेबसाइट एवं सोशल मीडिया हैंडल्स-फेसबुक व एक्स (पूर्व-ट्विटर) पर देना अनिवार्य है।

List of children registered, list of eligible children, category-wise list of provisionally selected children, waiting list and subsequent lists to be compulsorily displayed on the website/social media handles like Facebook, X (formerly Twitter) of the Vidyalayas concerned, in addition to display on School's Notice Board.

- यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारम्भिक/ अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है, तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा।

If any of the dates happens to be a public holiday the next working day shall be treated as opening/closing dates.



# के.वि.सं. प्रवेश मार्गदर्शिका

(2026-27 एवं आगामी सत्रों हेतु)

## KVS Admission Guidelines

(2026-27 & Onwards)



केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली  
Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi



<https://kvsangathan.nic.in/>



@KVSHQ



@KVS\_HQ



@kvshqr



KVS HQ

# केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली

## विषय-सूची

क्र.सं.	भाग-अ : सामान्य दिशा-निर्देश	अनु० सं०	पृष्ठ सं०
1.	अनुप्रयोज्यता/कार्यक्षेत्र	1	3
2.	परिभाषाएँ	2	3
3.	प्रवेश में प्राथमिकताएँ	3	4
4.	प्रवेश के लिए पात्र आयु	4	5
5.	कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी	5	5
6.	प्रवेश में आरक्षण	6	6
7.	के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) संबंधी प्रवेश	7(अ)	6
8.	स्थानीय के.वि.में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) संबंधी प्रवेश एवं पाली में परिवर्तन	7(ब)	7
9.	केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा-11 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य बोर्डों/आइसीएसई के विद्यार्थियों के प्रवेश की पात्रता	8	7
10.	कक्षा 10वीं तथा 12वीं में नए प्रवेश	9	7
11.	कक्षा में रिक्त स्थान रहने पर प्रवेश	10	8
<b>भाग-ब : विशेष प्रावधान</b>			
12.	भाग-अ, अनुच्छेद 5 में उल्लिखित कक्षा संख्या से अधिक और ऊपर प्रवेश पाने वाले बच्चों की श्रेणियाँ	1	9
13.	सैन्य/अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों तथा अन्य के बच्चों को प्रवेश	2	10
<b>भाग -स : प्रवेश प्रक्रिया</b>			
14.	प्रचार	1	11
15.	पंजीकरण	2	11
16.	दस्तावेज	3	11
17.	कक्षा-1 के लिए प्रवेश पद्धति	4	13
18.	ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु ड्रा की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठन	5	15
19.	शुल्क एवं अन्य रियायतें	6	16
20.	कक्षा-II से VIII में प्रवेश की पद्धति	7	16
21.	कक्षा-IX में प्रवेश की पद्धति	8	16
22.	कक्षा-XI में प्रवेश की पद्धति – संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु	9	16
23.	कक्षा- XI में प्रवेश की पद्धति – बाहरी विद्यार्थियों हेतु	10	17
24.	कक्षा – 11 में प्रवेश के लिए रियायतें	11	18

# केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

## भाग-अ

### सामान्य दिशा-निर्देश

**अनुप्रयोज्यता/कार्यक्षेत्र:** केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 एवं आगामी सत्रों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश को विनियमित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश स्थित केन्द्रीय विद्यालयों एवं डॉ राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालय, प्रेसीडेंट एस्टेट, नई दिल्ली पर लागू नहीं होंगे।

#### 1. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से भिन्न बात अपेक्षित न हो, इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा निम्नवत होगी :

- I. **केन्द्र सरकार का कर्मचारी** :- वह कर्मचारी जो नियमित है (अर्थात सरकार द्वारा संस्वीकृत पद पर स्थायी क्षमता पर कार्यरत कर्मचारी) एवं भारत की संचित निधि से अपनी परिलब्धियाँ प्राप्त करता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं ( भा.प्र.से. , भा.पु.से, भा.व.से, आदि) से संबंधित कर्मचारी भी शामिल होंगे।
- II. **राज्य सरकार का कर्मचारी**: वह कर्मचारी जो नियमित है (अर्थात राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत पद पर स्थायी क्षमता पर कार्यरत कर्मचारी) एवं राज्य की संचित निधि से अपनी परिलब्धियाँ प्राप्त करता है।
- III. **स्थानांतरण**: कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा जब सक्षम अधिकारी द्वारा उसे किसी एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया हो और वह स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने/180 दिनों (कार्यमुक्ति के दिन सहित) की हो।
- IV. **स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**: ऐसे संगठन जो पूर्णरूपेण सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं या जहाँ सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है/ जहाँ सरकार का नियंत्रण-हित है, उन्हें केन्द्र/राज्य के स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।
- V. **परियोजना (प्रोजेक्ट)/ उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के.वि.** : केन्द्रीय विद्यालय जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रायोजित है तथा उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) से प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।

### 3. प्रवेश में प्राथमिकताएँ

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा:

#### (क) सिविल / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालय :

1. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व-सैनिकों के बच्चे ।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
5. अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे, अर्थात्, वे सभी जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में शामिल नहीं हैं।

**टिप्पणी :-** प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी ।

#### (ख) परियोजना क्षेत्र (प्रोजेक्ट) / उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालय:

1. परियोजना क्षेत्र/उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो विद्यालय के प्रायोजक हैं, के कर्मचारियों के बच्चे, संकाय और स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो दीर्घकालिक अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों पर काम कर रहे हैं एवं वार्डन परिषद (सीओडब्ल्यू) के नियमित कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे, जिनमें संबंधित परियोजना (प्रोजेक्ट)/ उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) में प्रतिनियुक्ति पर रखे गए कर्मचारी तथा संविदा कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें संबंधित परियोजना (प्रोजेक्ट)/ उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) द्वारा सीधे कार्य पर रखा जाता है (तथापि, एजेंसी, आउटसोर्स, तीसरे पक्ष के माध्यम से कार्य पर रखे गए संविदा कर्मचारियों को प्रवेश में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी) ।

**टिप्पणी:** प्रवेश में प्राथमिकता सेवारत कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और परियोजना (प्रोजेक्ट)/ उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) द्वारा सीधे नियुक्त संविदा कर्मचारियों के बच्चों, के क्रम में दी जाएगी।

2. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों एवं भूतपूर्व-सैनिकों के बच्चे।
3. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
4. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
5. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
6. अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे, अर्थात्, वे सभी जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 5 में शामिल नहीं हैं।

**टिप्पणी :-** प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी ।

#### 4. प्रवेश के लिए पात्र आयु

जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा-1 में प्रवेश माँगा जा रहा है, उस वर्ष की 31 मार्च को उस बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी आवश्यक है (यदि बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा)। केन्द्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:

कक्षा	जिस वर्ष में प्रवेश माँगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम/अधिकतम आयु
I	6 वर्ष लेकिन 08 वर्ष की आयु से कम
II	7 वर्ष लेकिन 09 वर्ष की आयु से कम
III	8 वर्ष लेकिन 10 वर्ष की आयु से कम
IV	9 वर्ष लेकिन 11 वर्ष की आयु से कम
V	10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष की आयु से कम
VI	10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष की आयु से कम
VII	11 वर्ष लेकिन 13 वर्ष की आयु से कम
VIII	12 वर्ष लेकिन 14 वर्ष की आयु से कम
IX	13 वर्ष लेकिन 15 वर्ष की आयु से कम
X	14 वर्ष लेकिन 16 वर्ष की आयु से कम

#### टिप्पणी:

- सत्र 2022-23 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लागू न्यूनतम और अधिकतम आयु में बदलाव के परिणामस्वरूप, उससे आगे की 'उपयुक्त कक्षाओं' के लिए आयु सीमा में उत्तरोत्तर परिवर्तन भविष्य में भी जारी रहेगा।
- दिव्यांगों(सीडब्ल्यूएसएन) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।
- ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई आयु-प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते विद्यार्थी दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में प्रवेश चाहता हो। इसी प्रकार, बारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई ऊपरी और निचली आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते कि ग्यारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी की निरंतर पढ़ाई में कोई रुकावट न आई हो।

#### 5. नए प्रवेश हेतु कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी

	विद्यार्थियों की संख्या	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
(अ)	40 तक, सभी कक्षाओं के लिए	प्राचार्य	30 जून तक सीबीएसई द्वारा कक्षा -10 का परिणाम घोषित करने के 30 दिन के अन्दर	पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार, रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन (ग्यारहवीं कक्षा को छोड़कर)। पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार, केवल के.वि. के वर्तमान विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरांत रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर।
(ब)	**40 तक, कक्षा I, II व III हेतु एवं 45 अन्य सभी कक्षाओं के लिए	प्राचार्य	31 अक्टूबर तक	यह प्रावधान वर्तमान और गत शैक्षणिक वर्ष में नव-नियुक्त/ मध्यावधि स्थानान्तरण के कारण सिविल/रक्षा क्षेत्र के के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी I और II तथा परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान वाले के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी I से III के अभिभावकों पर लागू है।

## टिप्पणी:

- (i) \*\*जैसा कि के.वि.सं. प्रवेश दिशानिर्देशिका 2024-25 में अधिसूचित किया गया था, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा I, II और III में विद्यार्थियों की संख्या की ऊपरी सीमा 40 है और इसे बाद के शैक्षणिक सत्रों में भी उत्तरोत्तर लागू किया जाना जारी रहेगा। सत्र 2027-28 में कक्षा I, II, III और IV के लिए 40, और आगामी वर्षों में इसी प्रकार।
- (ii) पैराग्राफ 5(B) के अंतर्गत, वर्तमान तथा पूर्व शैक्षणिक वर्ष में स्थानांतरण/नई नियुक्ति की शर्त उन रक्षा कर्मियों के बच्चों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने संबंधित स्टेशन पर स्थित स्थानीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विद्यालय से उच्चतम कक्षा (जैसे कक्षा V, VIII और X इत्यादि) उत्तीर्ण की है और जहाँ सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विद्यालय, अभिभावक के निवास स्थान से 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, वर्तमान तथा पूर्व शैक्षणिक वर्ष में नई नियुक्ति या मध्य-वर्षीय स्थानांतरण के कारण, सिविल/रक्षा सेक्टर के के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी I एवं II तथा परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान सेक्टर के के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी I से III के अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार की समानता/टाई बनी रहती है, तो लॉटरी प्रणाली लागू की जाएगी।

## 6. प्रवेश में आरक्षण

- i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) की श्रेणियों हेतु सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी।
- ii. दिव्यांगों (सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणी हेतु नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांगों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी।

## 7. (अ) के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) संबंधी प्रवेश

- (i) अभिभावक के स्थानांतरण/नई नियुक्ति/सेवानिवृत्ति के कारण के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) वाले बच्चे नई पदस्थापना के स्थान अथवा सेवानिवृत्ति की स्थिति में निवास स्थान पर स्थित के.वि. में प्रवेश के पात्र होंगे। हालाँकि, सिविल/रक्षा क्षेत्र के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी V और परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्थान वाले के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी VI के मामले में, संबंधित संभाग के उपायुक्त की पूर्व-अनुमति की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मामलों में, कक्षा I से XII तक 50 से अधिक विद्यार्थियों के के.वि. टीसी आधारित प्रवेश केवल संबंधित संभाग के उपायुक्त की पूर्वानुमति के साथ ही होंगे, बशर्ते कि जिस के.वि. में प्रवेश माँगा जा रहा है उसके निकटवर्ती के.वि. में पुनर्वितरण/पुनः आवंटन का विकल्प उपलब्ध न हो।
- (ii) रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, जो गैर-पारिवारिक स्टेशन क्षेत्रों में (जहाँ कर्मी को अपना परिवार रखने की अनुमति नहीं है) स्थानांतरित होने पर या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात होने पर या ऐसे स्थान पर जहाँ कोई के.वि. उपलब्ध नहीं है, अपने परिवारों को अपनी पसंद के स्टेशन पर स्थानांतरित कर देते हैं, वे अपने बच्चों को के.वि. टीसी के आधार पर उस स्टेशन पर स्थित के.वि. में प्रवेश दिला सकते हैं, बशर्ते उस केन्द्रीय विद्यालय की संबंधित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक न हो। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 या उस से अधिक है, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त की स्वीकृति आवश्यक है, बशर्ते कि नजदीकी केन्द्रीय विद्यालयों में पुनर्वितरण/पुनः आवंटन का विकल्प समाप्त हो गया हो। प्रवेश हेतु, इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कर्मचारी को गैर-पारिवारिक स्टेशन पर या ऐसे स्थान पर जहाँ उसके कार्यस्थल से 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई KV उपलब्ध नहीं है, स्थानांतरित/तैनात कर दिया गया है, जिसे संबंधित अभिभावक के कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) अन्य सभी मामलों में जहाँ अभिभावक का स्थानांतरण शामिल नहीं है (सिविल/रक्षा क्षेत्र के के.वि. में प्राथमिकता श्रेणी V और परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्थान सेक्टर के.वि. में श्रेणी VI सहित), के.वि. टीसी के आधार पर प्रवेश केवल संबंधित संभाग के उपायुक्त द्वारा पूर्व-अनुमोदन और के.वि. के पुनः आवंटन के साथ मामले की योग्यता के आधार पर कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 45 के अधीन किया जाएगा। तथापि, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 45 होने के नियम का प्रतिबंध उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहाँ विद्यार्थी का भाई/बहन (सहोदर) पहले से ही उस विद्यालय में पढ़ रहा हो।

**टिप्पणी:** के.वि. का पुनः आवंटन/पुनर्वितरण करते समय, संबंधित संभाग के उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित के.वि., जहाँ तक संभव हो, बच्चे के निवास से 8 किमी के भीतर होना चाहिए ताकि दैनिक रूप से होने वाले दीर्घकालिक आवागमन के कारण उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। के.वि. टीसी के वे मामले जहाँ भाई-बहन (सहोदर) का प्रवेश होना हो, एक ही के.वि. में आवंटित किए जाने चाहिए।

**(ब) स्थानीय के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) संबंधी प्रवेश एवं पाली में परिवर्तन के नियम**  
स्थानीय स्थानांतरण के निम्नलिखित मामलों को संबंधित के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्थानांतरण पर विचार करते समय मामले की योग्यता के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है:

(i) पिछले/वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी आवास के आवंटन या अभिभावक के स्वयं के घर में शिफ्ट होने के मामले में (सिविल/रक्षा क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से IV और परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्था क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से V पर लागू)।

(ii) परिस्थितियाँ, जहाँ विद्यार्थी/अभिभावक की चिकित्सीय तात्कालिकता/ गंभीर बीमारी के आधार पर अभिभावक द्वारा स्थानीय स्थानांतरण की माँग की जाती है।

(iii) जहाँ विद्यार्थी का भाई-बहन (सहोदर) उस केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ प्रवेश माँगा गया है। ऐसे मामले में, संबंधित संभाग के उपायुक्त उन केन्द्रीय विद्यालय में से किसी एक केन्द्रीय विद्यालय में, जिसकी संबंधित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम हो, स्थानीय स्थानांतरण को मंजूरी देंगे।

(iv) पाली (शिफ्ट) में परिवर्तन की अनुमति संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा केवल भाई-बहन (सहोदर) के मामले में ही दी जाएगी, जब बच्चे का भाई या बहन दूसरी पाली में पढ़ रहा हो। इस संबंध में किसी अन्य आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

**टिप्पणी:** उपर्युक्त बिंदु (i) और (ii) के मामले में, आवंटित सरकारी आवास/ अभिभावक के स्वयं के घर के निकटतम केन्द्रीय विद्यालय में स्थानीय स्थानांतरण की अनुमति 50 की कक्षा-क्षमता के भीतर दी जा सकती है। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो अन्य निकटतम केन्द्रीय विद्यालय पर विचार किया जा सकता है।

## 8. केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-11 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य बोर्डों/आईसीएसई के विद्यार्थी के प्रवेश की पात्रता

के.वि.सं. और सीबीएसई के विद्यार्थियों पर क्रमशः विचार करने के बाद, यदि रिक्तियाँ मौजूद हैं, तो राज्य बोर्डों/आईसीएसई/एनआईओएस के विद्यार्थियों को ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है।

## 9. कक्षा 10वीं तथा 12वीं में नए प्रवेश :

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नए प्रवेश प्रदान करने के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में ऐसे प्रवेश के मामलों पर संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा केवल तब ही विचार किया जाएगा जब इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या 40 से कम हो। ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्न शर्तें भी लागू होंगी:

- क) बच्चे ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय से उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
- ख) कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 09वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
- ग) कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने अनिवार्य है।
- घ) विद्यार्थी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार हर प्रकार से पात्र होना चाहिए।
- ङ) विद्यार्थी द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध हो।
- च) यह नए प्रवेश केवल सिविल/रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I और II के लिए एवं परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से III के लिए ही होंगे।

**10. कक्षा में रिक्त स्थान रहने पर प्रवेश :**

यदि 30 जून के बाद भी किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए कोई स्थान रिक्त रह जाता है, तो संबंधित संभागीय कार्यालय के उपायुक्त संबंधित शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक, प्रवेश संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार, निर्धारित कक्षा संख्या 40 तक प्रवेश की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।

## भाग-ब

### विशेष प्रावधान

#### 1. निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश दिशानिर्देशिका के भाग-अ, अनुच्छेद 5 में उल्लिखित विद्यार्थियों की संख्या से अधिक होने पर भी प्रवेश दिया जाएगा:

- I. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केन्द्रीय विद्यालय, संभागीय कार्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान और के.वि.सं. (मुख्यालय) के सेवारत कर्मचारियों के बच्चों को कक्षा संख्या/स्थानांतरण/भर्ती के वर्ष पर ध्यान दिए बिना वर्ष के किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकता है। हालांकि, कक्षा IX के लिए, बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। (जो कार्मिक/अधिकारी के.वि.सं. में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, उनके बच्चों को भी नियमित के.वि.सं. कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा)।
- II. केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चे जिनका सेवा के दौरान निधन हो गया हो। नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी पेंशन कागजात/पत्र की प्रति प्रमाण के रूप में ली जाएगी।
- III. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना पदक (सेना), नौसेना पदक (नौसेना), वायु सेना पदक (वायु सेना) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- IV. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- V. मेधावी खिलाड़ी बच्चे जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया/एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
- VI. वे बच्चे जिन्होंने स्काउट्स एवं गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया हो।
- VII. वे बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा स्थापित बाल श्री पुरस्कार एवं प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।
- VIII. ललित कला (कला उत्सव विजेताओं सहित) में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चे।
- IX. कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अन्तर्गत निर्धारित कक्षा संख्या से ऊपर होने पर भी प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। प्रवेश, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सूची के आधार पर, प्रति केन्द्रीय विद्यालय 10 बच्चों और प्रति कक्षा अधिकतम 02 बच्चों के आधार पर किया जाएगा। इन बच्चों को कक्षा I से XII तक की फीस (ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि) के भुगतान से छूट दी जाएगी। (केवल पीएम केयर्स (PM CARES) फॉर चिल्ड्रन पोर्टल में पंजीकृत 'वैध लाभार्थी संख्या' के साथ उपलब्ध उम्मीदवारों के लिए)।
- X. कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों को प्रवेश निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दिए जाएंगे:
  - क) प्रवेश की तिथि का 30 दिनों के लिए विस्तार।
  - ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समतुल्य कट-ऑफ प्रतिशत में छूट होगी, बशर्ते कि वे अन्य न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों।
  - ग) कक्षा की निर्धारित क्षमता से अधिक होने पर भी प्रवेश दिए जाएंगे।

## 2. सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों एवं अन्य के बच्चों को प्रवेश

- (i) सशस्त्र बलों (सेना, वायु सेना, नौसेना) और अर्धसैनिक बलों अर्थात् सीआरपीएफ/ बीएसएफ/ आईटीबीपी/ एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल)/ सीआईएसएफ/ एनएसजी, असम राइफल्स और भारतीय तट रक्षक, इसरो/एईईएस (परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था)/डीआरडीओ द्वारा संचालित स्कूलों, जो एनसीईआरटी/सीबीएसई पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या (सिलेबस) का पालन करते हैं, द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश केवल तभी किया जाएगा जब कक्षा में नामांकन 50 से कम हो और अभिभावक को उस स्थान पर/ गैर-पारिवारिक स्टेशन पर (जहाँ कर्मी को अपना परिवार रखने का अधिकार नहीं हो)/ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात/स्थानांतरित कर दिया गया है और उसने अपने परिवार को कहीं और रखने का विकल्प चुना है या उसकी, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उस स्थान पर बसने की इच्छा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनुरोधों पर केवल उन्हीं स्टेशनों के लिए विचार किया जाएगा जहाँ उपर्युक्त संगठनों द्वारा संचालित स्कूल उस बच्चे, जिसका प्रवेश माँगा गया है, के अभिभावक के निवास से 8 किमी के दायरे में उपलब्ध नहीं हैं।
- (ii) यह प्रावधान इसरो/एईईएस (परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था) द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है।
- (iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान केवल रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक बलों अर्थात् सीआरपीएफ/ बीएसएफ/ आईटीबीपी/ एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल)/ सीआईएसएफ/ एनएसजी और असम राइफल्स के बच्चों (केवल पुत्र और पुत्रियों) के लिए हैं। इसमें रक्षा कर्मियों के पोते-पोतियाँ शामिल नहीं होंगे। आयु और अंक/ग्रेड के लिए पात्रता मानदंड सहित के.वि.सं. प्रवेश दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) सहित शुल्क का भुगतान केन्द्रीय विद्यालय में बच्चे के प्रवेश के महीने से किया जाएगा, भले ही केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए जिस स्कूल से टीसी जारी की गई है, उस स्कूल में अगले महीनों की फीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो। उपर्युक्त मामलों में, रक्षा मंत्रालय/विभागों/प्राधिकरण के स्कूलों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) का पृष्ठांकन/अनुमोदन संबंधित संभाग के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा जहाँ प्रवेश माँगा गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

# भाग-स

## प्रवेश प्रक्रिया

### 1. प्रचार

के.वि.सं. (मुख्यालय) द्वारा जारी प्रवेश समय-सारिणी के अनुसार, संभागीय कार्यालय स्थानीय समाचार पत्रों में कक्षा- 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विज्ञापन जारी करेंगे, जिसमें अभिभावकों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपने बच्चों को पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस विज्ञापन में विशेष रूप से यह दर्शाया जाना चाहिए कि केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं अपितु सभी के लिए खुले हैं। प्रवेश को विनियमित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों हेतु केवल कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांगोंके लिए आरक्षण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

### 2. पंजीकरण

- (i) यदि किसी कक्षा विशेष में कोई रिक्ति नहीं है तो पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई रिक्ति होती है, तो विद्यालय की वेबसाइट, स्कूल नोटिस बोर्ड एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करके पंजीकरण कराया जा सकता है और के.वि.सं. प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ii) यदि पंजीकृत बच्चों की संख्या कम है, जिसके कारण सभी सीटें नहीं भरी हैं, तो प्राचार्य प्रवेश अनुसूची के अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता को सूचित करते हुए दूसरा विज्ञापन जारी करेंगे।
- (iii) प्रवेश, विद्यालय की कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जाना आवश्यक है। यदि कार्यकारी समिति कक्षा की पूरी स्वीकृत क्षमता तक प्रवेश को मंजूरी नहीं देती है, तो प्राचार्य इस तथ्य को उपायुक्त को सूचित करेंगे जो प्रवेश को मंजूरी दे सकते हैं।
- (iv) ग्यारहवीं कक्षा के लिए पंजीकरण दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद किया जाएगा और कक्षा की पूर्ण क्षमता तक प्रवेश सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित होने के **30 दिनों के भीतर** पूरा किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय की कार्यकारी समिति द्वारा इसे मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण पूरी संख्या तक बच्चों को प्रवेश देने में कोई कठिनाई होती है, तो अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और कक्षा की स्वीकृत संख्या तक प्रवेश, संबंधित संभाग के उपायुक्त के अनुमोदन से, **सीबीएसई परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर** किया जाएगा।
- (v) पंजीकरण फॉर्म प्राचार्य द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। हालाँकि, कक्षा-I के लिए, पोर्टल लाइव होने पर पंजीकरण ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
- (vi) सभी प्रकार से पूर्ण पंजीकरण फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, के.वि.सं. की अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित तिथि के भीतर संबंधित विद्यालय को जमा करना /भेजना होगा।
- (vii) पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ जमा करनी आवश्यक होंगी।

### 3. दस्तावेज़

कक्षा 1 के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म-पंजीकरण के लिए जारी जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति आयु के प्रमाण स्वरूप जमा करनी होगी। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद / नगर पालिका / नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं ग्राम पंचायत, सैन्य अस्पताल के रिकॉर्ड और रक्षा कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि संबंधी उद्धरणों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए, राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण

प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी। जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद अभिभावक को वापस कर दिया जाना चाहिए। कक्षा आठवीं तक प्रवेश, बिना किसी स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र के दिया जा सकता है, बशर्ते बच्चा अन्यथा पात्र हो और उसका जन्म प्रमाणपत्र सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।

1. संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/बीपीएल, जहाँ भी लागू हो, से संबंधित है। यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो प्रवेश के प्रयोजन के लिए माता-पिता में से किसी एक का प्रमाणपत्र प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में बच्चे का प्रमाण-पत्र प्रवेश की तिथि से 03 महीने की अवधि के अंदर जमा करना होगा।
2. दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के संबंध में, सिविल सर्जन/पुनर्वास केन्द्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि वह एक दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) बच्चा है। ऐसे मामले में, जहाँ बच्चे की दिव्यांगता को प्राचार्य द्वारा देखा जा सकता है, बच्चे को प्रमाण पत्र के बिना भी दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, अभिभावक को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे स्कूल में जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
3. पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानान्तरण की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में नाम, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ विधिवत हस्ताक्षर कर मोहर लगाई गई हो।
4. वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. निवास का प्रमाण।

### टिप्पणी:

- (i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएँगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामले में प्राचार्य अपने विवेक से, बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
- (iii) गलत प्रमाण-पत्र/सूचना-जैसे आवासीय पता तथा के.वि. से उसकी दूरी आदि के आधार पर पाए गए प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभिभावक द्वारा दर्ज किया गया पता तथा प्रस्तुत किया गया पता-प्रमाण, पड़ोस (Neighbourhood) निर्धारित करने के लिए अंतिम माना जाएगा। इस उद्देश्य हेतु, सिवाय उन मामलों के जहाँ सरकारी कर्मचारी, अस्थायी प्रवेश-सूची जारी होने के बाद, सरकारी आवास में स्थानांतरित होते हैं, पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) कक्षा-1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। दो पालियों में संचालित केन्द्रीय विद्यालय को प्रवेश के दृष्टिकोण से दो अलग-अलग विद्यालय माना जाएगा। पाली में परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय की एक ही कक्षा में किसी बच्चे के प्रवेश के लिए एक से अधिक पंजीकरण/आवेदन किए जाते हैं तो उनमें से प्राप्त अंतिम पंजीकरण/आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- (vi) श्रेणी I, II, III और IV के प्रवेश के संबंध में अभिभावक द्वारा उनकी सेवा के प्रमाण में प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यता की जाँच प्राचार्य द्वारा अनिवार्य रूप से की जाना चाहिए।

(vii) प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से चयनित बच्चों के अभिभावकों/संरक्षकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जैसे जन्म/जाति/आय प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता और वैधता की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए, विशेष रूप से वे दस्तावेज जो पात्रता मानदंड से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी किसी प्रवेश से इनकार किया जाता है, तो अभिभावकों/संरक्षकों को एक लिखित सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें सभी कमियों/प्रवेश अस्वीकार करने के विशिष्ट कारणों का उल्लेख हो, ताकि किसी भी न्यायालय में होने वाली विधिक कार्यवाही को रोका/कम किया जा सके।

#### 4. कक्षा-1 में प्रवेश की विधि

नए प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों में से 25% सीटें 'शिक्षा का अधिकार' (आगे 'आरटीई' के रूप में संदर्भित) के लिए आरक्षित होंगी, 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, और 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर (आगे 'OBC-NCL' के रूप में संदर्भित) के लिए आरक्षित होंगी।

आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद, दिव्यांगों(CwSN) को प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद श्रेणी-1 के अंतर्गत आने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे भी शामिल होंगे। इसी प्रकार, श्रेणी-1 के बाद श्रेणी-2 के अन्तर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे भी शामिल होंगे (परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान सेक्टर वाले केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में यह प्रक्रिया श्रेणी-3 तक लागू होगी)।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की कमी की स्थिति का निर्धारण आरटीई कोटा और प्राथमिकता श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के अन्तर्गत पहले से प्रवेशित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

आरक्षण मानदंड प्रति सेक्शन अधिकतम 40 विद्यार्थियों की स्वीकृत कक्षा क्षमता के भीतर निम्न प्रकार से लागू होंगे:

आरटीई 25% : 10 सीटें (जिसमें निम्नलिखित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षित सीटें शामिल हो सकती हैं)

अनुसूचित जाति 15% : 06 सीटें

अनुसूचित जनजाति 7.5% : 03 सीटें

अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर 27% : 11 सीटें

(दिव्यांगों(CwSN) के आवेदनों के लिए 3% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी)

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी की क्रमिक प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

क) आरटीई लॉटरी

ख) सभी दिव्यांगों(CwSN) की लॉटरी

ग) श्रेणी-I

घ) श्रेणी-II

ङ) अनुसूचित जाति

च) अनुसूचित जनजाति

छ) अन्य पिछड़ा वर्ग

ज) श्रेणी-III

झ) श्रेणी-IV

ञ) श्रेणी-V

ट) श्रेणी-VI (यदि लागू हो)

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-1 में नए प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

- (i) **पहला चरण:** कक्षा 1 के प्रत्येक सेक्शन में 40 सीटों में से 10 सीटें (25%) आरटीई प्रावधानों के अनुसार भरी जाएंगी। इन 10 सीटों का चयन लॉटरी द्वारा उन सभी आवेदकों में से किया जाएगा, जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), बीपीएल (BPL), अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL), एवं दिव्यांगों(CwSN) के हैं और निकटवर्ती/आस-पड़ोस के निवासी हैं।
- (ii) **दूसरा चरण:** दिव्यांगों(CwSN) की लॉटरी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर क्रीमी लेयर/अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए प्राथमिकता श्रेणी के क्रम में आयोजित की जाएगी।
- (iii) **तीसरा चरण:** (आरटीई और दिव्यांग (CwSN) आवेदकों के प्रवेश के बाद) बची हुई सीटें प्राथमिकता श्रेणी-I और श्रेणी-II (परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्थान वाले केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में श्रेणी-I से श्रेणी-III तक) के अनुसार भरी जाएंगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि स्वीकृत कक्षा क्षमता पूरी नहीं हो जाती या श्रेणी-I और श्रेणी-II (परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्था वाले केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में श्रेणी-III तक) के सभी पंजीकृत आवेदकों को प्रवेश नहीं मिल जाता।
- (iv) **चौथा चरण:** तीसरे चरण तक प्रवेशित आरटीई, दिव्यांग (CwSN), श्रेणी-I और श्रेणी-II (परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्थान वाले केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में श्रेणी-I से श्रेणी-III तक) के आवेदकों की संख्या को जोड़कर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) की कुल संख्या निकाली जाएगी। यदि अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/ और अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कोई कमी रह जाती है, तो इन्हें आरक्षण मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता क्रम में भरा जाएगा, भले ही यह स्वीकृत कक्षा क्षमता से अधिक हो जाए।
- (v) **पाँचवाँ चरण:** उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं के बाद भी यदि स्वीकृत कक्षा क्षमता पूरी नहीं होती और सीटें खाली रह जाती हैं, तो श्रेणी-III (परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्थान वाले केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में श्रेणी-IV) से आगे के आवेदकों को केवल अनारक्षित सीटों पर प्राथमिकता के क्रम में प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर की बची हुई आरक्षित सीटों को खाली छोड़ दिया जाएगा।
- (vi) **बची हुई आरक्षित सीटों को भरने की प्रक्रिया (यदि पर्याप्त ऑनलाइन पंजीकृत उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं):** आरक्षित कोटे (आरटीई/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर) की बची हुई सीटों को भरने के लिए संबंधित केन्द्रीय विद्यालय द्वारा उस विशेष श्रेणी के आवेदकों के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण हेतु एक अलग विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऑफ़लाइन पंजीकृत आवेदकों को उनकी प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा ताकि आरक्षित कोटे की कमी को पूरा किया जा सके। यदि इन प्रयासों के बावजूद सीटें खाली रह जाती हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
  - अ) आरटीई के अन्तर्गत आरक्षित सीटों को किसी भी स्थिति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।
  - ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की खाली सीटों के मामले में: यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोई सीट खाली रह जाती है, तो उपलब्ध सामाजिक श्रेणी प्राथमिकता सूची के पंजीकृत उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति की सीट अनुसूचित जनजाति से और अनुसूचित जनजाति की सीट अनुसूचित जाति से बदली जा सकती है। लेकिन यह केवल तभी किया जाएगा जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल प्रवेशित आवेदकों की संयुक्त संख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों के कुल कोटे से कम हो। यह योग सभी श्रेणियों में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी आवेदकों की गणना करके प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी केन्द्रीय विद्यालय की एकल सेक्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आरक्षित सीटें 9 (6 अनुसूचित जाति + 3 अनुसूचित जनजाति) हैं, और मान लीजिए कि किसी भी मामले (अनुसूचित जाति या जनजाति) की अनुपलब्धता के कारण अदला-बदली (इंटरचेंजिंग) के उपर्युक्त नियम का पालन करते हुए 8 अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पहले से ही प्रवेश दिया जा चुका है, और प्रवेश के लिए कोई और अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति

में अनुसूचित जनजाति की ये 2 सीटें अनुसूचित जाति को नहीं दी जाएंगी क्योंकि पहले से ही 9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा चुका है।

**स्पष्टीकरण:** ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) की सीटों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या आरटीई के साथ अदला-बदली नहीं की जा सकती।

**(VII) ओबीसी (एनसीएल) की सीट रिक्त रहने की स्थिति में:**

यदि पैरा 4(vi) में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाने के बाद भी ओबीसी (एनसीएल) के लिए आरक्षित सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें स्वीकृत कक्षा क्षमता के भीतर शेष प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र उम्मीदवारों से (प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार) भरा जा सकता है।

**टिप्पणी:**

- I. वंचित समूह/कमजोर वर्ग/बीपीएल/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) की परिभाषा/पात्रता मानदंड संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचना के अनुसार होंगे। (संबंधित के.वि.सं. सभागीय कार्यालय के उपायुक्त, संबंधित राज्य सरकारों की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार बीपीएल/ईडब्ल्यूएस से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं)।
- II. कक्षा-1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

**क. वंचित समूह की परिभाषा**

- I. वंचित समूह से संबंधित बालक/बालिका का आशय उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या किसी अन्य ऐसे समूह से संबंधित हैं, जिन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी, लिंग अथवा अन्य किसी कारक के कारण वंचित माना गया हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया हो (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (d))।
- II. दिव्यांग (CwSN) और दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों की पहचान आरटीई अधिनियम 2009/ आर.पी.डब्ल्यू.डी अधिनियम (RPwD Act) 2016 के प्रावधानों अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित मानकों के अनुसार की जाएगी।

**ख. कमजोर/निर्बल वर्ग की परिभाषा**

निर्बल वर्ग से संबंधित बालक/बालिका का आशय ऐसे अभिभावक/संरक्षक (जिन्हें किसी न्यायालय या विधिक प्रावधान द्वारा घोषित किया गया हो) से संबंधित बालक/बालिका से है, जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है (धारा 2 (e))। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित आय सीमा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा के अनुसार लागू होगी।

**ग. पड़ोस (Neighbourhood) की परिभाषा एवं निवास प्रमाण (केवल आरटीई के अंतर्गत प्रवेश पर लागू)**

चूंकि केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए उन्हें पड़ोस की सीमा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1.	प्रमुख शहर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय और महानगर)	5 किमी परिधि
2.	ऊपर क्रमांक 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अतिरिक्त	8 किमी परिधि

**टिप्पणी:**

1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा।
2. इस संदर्भ में, दूरी के बारे में अभिभावक द्वारा लिखित रूप में स्वघोषणा भी स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते कि सत्यापन किया जाए।

**कक्षा 1 के लिए प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। अन्य कक्षाओं के लिए, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ऑफलाइन माध्यम से।**

**5. ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु ड्रॉ की पर्चियाँ निकालने के लिए समिति का गठन:**

प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय एक समिति का गठन करेगा, जो कक्षा 1 या किसी अन्य कक्षा में लॉटरी प्रणाली की

निगरानी करने (केवल ऑफ़लाइन मोड के लिए) के उद्देश्य से उस स्थिति में कार्य करेगी जब किसी विशेष श्रेणी के सभी उम्मीदवारों या समान संख्या में स्थानान्तरण वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता हो।

**समिति में निम्न 05 सदस्यों को शामिल किया जाएगा :**

1.	प्राचार्य	संयोजक
2.	शिक्षक	सदस्य(प्राचार्य द्वारा नामित)
(3 व 4)	दो अभिभावक (एक महिला)	सदस्य(एक अभिभावक जिसके बच्चे का प्रवेश आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 12(1)(ग) के अंतर्गत किया जाना है।)
5.	विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य	सदस्य(वि.प्र.स. के अध्यक्ष द्वारा नामित)

- प्राचार्य द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों (जहाँ ये कक्षाएँ उपलब्ध हैं) में से एक अतिरिक्त छठा सदस्य भी नामित किया जा सकता है।
- अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहमति से इस समिति का गठन करके इसकी अधिसूचना लॉटरी(ड्रा) के कम से कम 5 दिन पहले जारी कर दी जाए और उसे विद्यालय के सूचना-पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

## 6. शुल्क एवं अन्य रियायतें :

- आरटीई अधिनियम 2009 के कोटे के अंतर्गत जिन 25% बच्चों को प्रवेश दिया गया है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- एक बार जब बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा-I में प्रवेश मिल जाता है तो उन्हें कक्षा-VIII तक सभी रियायतें मिलती रहेगी।
- अभिभावक का निवास प्रमाण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ मिल रहा है तो वह आरटीई अधिनियम की रियायतों का दावा नहीं कर सकता है।

## 7. कक्षा-II से VIII में प्रवेश की विधि

कक्षा II से VIII तक प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और भाग-अ, अनुच्छेद 05 में दी गई तालिका में निर्धारित कक्षा संख्या के भीतर और अभिभावक की प्राथमिकता श्रेणी के क्रम के अनुसार रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।

## 8. कक्षा IX में प्रवेश की विधि

कक्षा IX में प्रवेश के लिए, एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, और प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार अलग से एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। भाग-अ, अनुच्छेद 05 में दी गई तालिका में निर्धारित कक्षा संख्या के भीतर तथा अभिभावक की प्राथमिकता श्रेणी के क्रम के अनुसार रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।

- प्रवेश परीक्षा इन विषयों में आयोजित की जाएगी: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान।
- प्रवेश परीक्षा का केवल एक प्रश्न-पत्र 3 घंटे की अवधि और 100 अंकों का होगा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, प्रत्येक 20 अंकों का होगा।
- अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को कुल मिलाकर न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग (CwSN), कुल मिलाकर, न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

## 9. कक्षा XI में प्रवेश की विधि- केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मामले में विद्यालय में संकाय (स्ट्रीम) की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न संकायों यानी विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में प्रवेश अधिकतम 50 सीटों तक योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) की घोषणा से पहले अभिभावक की सहमति से विद्यार्थियों से संकाय (स्ट्रीम) का विकल्प लिया जाएगा। दसवीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संकाय (स्ट्रीम) आवंटित

किया जाएगा। एक बार एक संकाय (स्ट्रीम) में सीटें समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों को उस विद्यालय में अन्य उपलब्ध संकाय (स्ट्रीम) में प्रवेश लेना होगा। केन्द्रीय विद्यालय द्वारा मेरिट सूची को अंतिम रूप देने से पहले विद्यार्थियों से वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) लेनी होगी।

योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) केवल केन्द्रीय विद्यालय के पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए तैयार की जानी है। तथापि, यदि नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय कक्षा दस तक ही है (यदि केन्द्रीय विद्यालय अस्थायी भवन में चल रहा है या ग्यारहवीं कक्षा शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण), तो संयुक्त योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी और प्रवेश दिया जाएगा। उस स्थिति में, संबंधित संभाग के उपायुक्त सीबीएसई परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद केन्द्रीय विद्यालय में संकाय (स्ट्रीम) की उपलब्धता के आधार पर नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय का फैसला करेंगे।

**10. कक्षा XI में प्रवेश- गैर-के.वि. विद्यार्थी:** यदि अपने केन्द्रीय विद्यालय/ नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों को प्रवेश देने के बाद भी कक्षा XI में सीटें खाली रहती हैं, तो गैर-केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों को प्रवेश इस पैरा के बिंदु 'स' के अनुसार प्राथमिकता की श्रेणियों के क्रम में, समान मानदंडों पर दिया जा सकता है।

**टिप्पणी:** जहाँ भी लागू हो रियायतें योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करते समय शामिल की जाएँगी।

**अ)** यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी सभी विषयों में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की परस्पर योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है:

- गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरीयता मिलेगी।
- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को गणित में समान अंक प्राप्त हुए हैं, तो गणित और विज्ञान में मिलाकर उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य की तुलना में वरीयता मिलेगी।
- गणित और विज्ञान में एक साथ समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

**ब)** केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मामले में, आम तौर पर कक्षा की संख्या 50 तक सीमित रखनी है। हालांकि, केन्द्रीय विद्यालय के 50 से अधिक योग्य विद्यार्थियों को समायोजित करने के लिए, यदि संभव हो तो, नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय में आवंटन/ समायोजन के लिए संभाग के उपायुक्त से परामर्श किया जाएगा।

**स)** संबंधित प्राचार्य गैर-केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार नए प्रवेश के लिए निर्धारित कक्षा संख्या अर्थात् 40 के भीतर कक्षा XI में प्रवेश दे सकते हैं। अभिभावक की प्राथमिकता श्रेणी के क्रम के अनुसार भाग-अ, अनुच्छेद-5 में दी गई तालिका में निर्धारित कक्षा संख्या के भीतर रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।

**द)** एक विद्यार्थी जो पहले किसी संकाय (स्ट्रीम) विशेष में प्रवेश के लिए पात्र नहीं पाया गया था, उसे अगले शैक्षणिक सत्र में ग्यारहवीं कक्षा में किसी संकाय (स्ट्रीम) विशेष में नए प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह उसी बोर्ड से एक वर्ष के भीतर अपने प्रदर्शन में सुधार करता है, बशर्ते कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण होने वाले योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद रिक्तियाँ मौजूद हों।

**ए)** पूरक परीक्षा (Supplementary Examination) के माध्यम से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी इसी प्रक्रिया के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

**टिप्पणी:** एक वैकल्पिक विषय के रूप में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज (Informatics Practices) सभी संकायों (स्ट्रीम्स) के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। इसमें प्रवेश संयुक्त योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार दिया जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी, जहाँ भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है, विज्ञान संकाय (स्ट्रीम) के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है और प्रवेश संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार होंगे। संयुक्त योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार सभी संकाय (वाणिज्य, मानविकी और विज्ञान) के विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय के रूप में मल्टी-मीडिया और वेब-डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहाँ भी उपलब्ध हो) दिए जा सकते हैं।

**11. ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें दी जाएंगी:**

(क) विभिन्न स्तरों पर खेल-कूद प्रतियोगिता/स्काउटिंग और गाइडिंग/एनसीसी/साहसिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायत दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र पिछले किसी भी वर्ष का हो सकता है।

क्रमांक	खेलकूद/क्रीड़ा	एनसीसी	स्काउट / गाइड	साहसिक क्रियाकलाप	प्रवेश हेतु अंको में छूट
(अ)	एसजीएफआई अथवा समकक्ष स्तर पर प्रतिभागिता	‘ए’ प्रमाण - पत्र और गणतंत्र दिवस/प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण - पत्र	शून्य	कुल अंकों में 6% अंक
(ब)	के.वि.सं./राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता	‘ए’ प्रमाण पत्र और जिला/राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कैडेट	7 दक्षता बैजों सहित राज्य पुरस्कार प्रमाण-पत्र	शून्य	कुल अंकों में 4% अंक
(स)	के.वि.सं. क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रतिभागिता	‘ए’ प्रमाण-पत्र	5 दक्षता बैजों सहित तृतीय सोपान प्रमाण-पत्र	कम से कम किसी 10 दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता	कुल अंकों में 2% अंक

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर/दिव्यांगोंकी श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 4% अंकों का उन्नयन/अपग्रेड दिया जाएगा।

(ग) खेल-कूद / एनसीसी / स्काउट / गाइड / साहसिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकतम छूट कुल अंकों में 6% अंक से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति में उम्मीदवार को अधिकतम लाभ की केवल एक छूट दी जाएगी। यह लाभ गैर-केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाएगा।

**टिप्पणी:**

1. यह प्रवेश दिशानिर्देश, बालवाटिका कक्षाओं पर भी, जहाँ कहीं लागू हो, उसी प्रकार प्रभावी होंगे जैसे कि कक्षा 1 पर, बशर्ते कि बालवाटिका 1, 2 और 3 के लिए आयु मानदंड पूरे होते हों।
  2. यदि प्रवेश दिशानिर्देशों की व्याख्या से संबंधित कोई बाधा हो, तो आयुक्त, के.वि.सं. का निर्णय अंतिम होगा।
  3. किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर, वर्ष के किसी भी समय, प्रवेश दिशानिर्देशों में अध्यक्ष, के.वि.सं. के पूर्व अनुमोदन से आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।
- (टिप्पणी: हिंदी संस्करण में संदेह अथवा विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

\*\*\*\*\*